

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बिलकिस बनाम हसन वगै०

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज वाद - धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 135 वर्ष 2024</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

14.06.2024 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 19-07-2024 को पेश हो।

19/7/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते तलब  
में दिनांक 30/9/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

30/9/24  
आज पत्रावली पेश की गइल 345 फाके नं० ①  
की तलब ले की इलकी नं० 1059/10 340 हरिद व 10/10/24  
क फाइल नं० 224 पेश की 21.10.24 हरिद, पत्रावली  
वास्ते जवाब पेश की 15/10/24 की  
पेश की 15.10.24

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

15/10 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते 29/10/24 पेश की  
में दिनांक 24/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

24/11/24 आज पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते 29/10/24 पेश की  
में दिनांक 29/10/24 को पेश हो।

03/12/24 आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई।  
बार-बार आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता  
अनुपस्थित। अतः बाब अदम हाजरी/अदम पैरवी  
में स्टाटिज किया जाकर, पत्रावली बाब निर्णय  
तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
जिला खैरथल तिजारा